

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

6.4.22

पत्रावली फ़ैसलहई। S.B.C.W.P सं.
5819/2006, तथा 5821/2006 में
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक
7-5-2014 को निर्णय परित किया
जा चुका है प्रकरण में बार-बार
आवाज लगावाई गई। अपीलान्ट
स्वयं या अपीलान्ट की ओर से
अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
पेशकार सरकार उपस्थित। वकील
अपीलान्ट / स्वयं अपीलान्ट के
उपस्थित नहीं होने पर अपील
अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम परबी
में खारिज की जाती है। पत्रावली
दर्ज नम्बर से कम हो बाद तक मील
कारिबम दफतर है। अधीनस्थ न्याया
का मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

सतिरिक्त कलामटर (चतुर्थ)

जयपुर